1

न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी- 4214/2018/अनूपपुर/भू.रा.

1. धर्मेन्द्र चौबे पिता श्री सुरेन्द्र चौबे
2. पुष्पेन्द्र चौबे पिता श्री सुरेन्द्र चौबे

दोनो निवासी–अनूपपुर, वार्ड कं0–09, तहसील के पीछे, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0) ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सुनीता दुबे पत्नी आदित्य कुमार निवासी ग्राम–पसला, थाना व तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
2. शहनाज बानो पिता मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम–मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर थाना व तहसील–अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
3. मोहम्मद अनीष पिता मोहम्मद एहसान निवासी ग्राम–मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर थाना व तहसील–अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
4. मोहन मृदुल्ला वगैरह निवासी ग्राम–बिजौड़ी, थाना व तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
5. मोहम्मद इकबाल तिग्गाला पिता मूसा निवासी–बस स्टैण्ड रोड अनूपपुर, थाना, तहसील व जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्तागण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 6-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु दिनांक 13-7-18 नियत।
6-7-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार महोदय अनूपपुर वृत्त फुनगा के रा0प्र0कं0–64/अ–3/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2018

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0सं0–1959

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4214/2018/ अनूपपुर/भू.रा. धर्मेन्द्र विरूद्ध सुनीता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक धर्मेन्द्र की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार अनूपपुर वृत्त फुगना के प्रकरण क्रमांक 64/अ-3/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य